प्ररूप–ख
(नियम 3 (1) देखिये)
निरीक्षण प्रतिवेदन

प्रति,
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
अनुविभाग रामानुजगंज जिला बलरामपुर छत्तीसगढ़

विषय :– वृक्ष कटाई के संबंध में निरीक्षण प्रतिवेदन ।

संदर्भ :– आपके न्यायालय का ज्ञापन क्रमांक 2006 दिनांक 6.10.2025

संदर्भित आदेश के अनुपालन में, संयुक्त स्थल निरीक्षण (दिनांक) 12.10.2025 को किया गया।

स्थल निरीक्षण के दौरान साक्षी के रूप में निम्नलिखित उपस्थित रहे–

(क) आवेदक एवं उसके नातेदार आवेदक प्रेमानन्द
(ख) सरपंच / पंच
(ग) पटवारी / कोटवार
(घ) स्वतंत्र स्थानीय साक्षी ग्रामवासी

वृक्षों के पंजी एवं राजस्व अभिलेख (बी–1 / खसरा) के अनुसार भूमि में स्थित वृक्षों का विवरण निम्नानुसार है–

(क) प्राकृतिक रूप से उगे वृक्षों की प्रजाति और संख्या 10 साल वृक्ष
(ख) रोपित वृक्षों की प्रजाति और संख्या x
(ग) इस खाते पर प्राकृतिक रूप से उगे वृक्षों को काटने की पूर्व अनुज्ञा दिनांक x को दी गई थी।

स्थल निरीक्षण से दर्शित होता है कि–

(क) शुष्क वृक्षों की प्रजाति और संख्या x
(ख) परिपक्व वृक्षों की प्रजाति संख्या 10 साल वृक्ष हरा
(ग) कृषि / व्यवसाय के हित में कटाई हेतु वृक्षों की प्रजाति और संख्या 10 साल वृक्ष हरा
(घ) वृक्ष कटाई के नियम, 2022 के नियम 2 की प्रयोज्य खण्ड, यदि कोई हो,
(ड.) अन्य विवरण कृषि कार्य में बाधा उत्पन्न होना के स्थान को विक्रय करने बावत् ।

वन अधिकारी परिक्षेत्र सहायक
पदनाम डिण्डो
हस्ताक्षर

राजस्व अधिकारी का नाम,
पदनाम रा. नि. डिण्डो
हस्ताक्षर

12.10.25

प्रति,

श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी महोदय
अनुविभाग (रा.)रामानुजगंज
जिला–बलरामपुर रा.गंज (छ.ग.)

विषय :– **मौका जांच प्रतिवेदन**

संदर्भ :– **क्रमांक 2006/वाचक /अ.वि.अ./2025 रामानुजगंज दिनांक 06.10.2025**

महोदय

विषयांतर्गत लेख है, कि ग्राम बसेराखुर्द पटवारी हल्का नं. 11 रा.नि.म. डिण्डो तह. रामचन्द्रपुर के आवेदक प्रेमचन्द्र सिंह पिता शिवनारायण जाति खैरवार के खाते की भूमि खसरा नं. 445 रकबा 2.83 हे. भूमि आवेदक के नाम अभिलेख दर्ज है, उक्त खसरा की भूमि का मौका जांच मेरे द्वारा एवं सहायक वनपरिक्षेत्र अधिकारी डिण्डो के द्वारा दिनांक 12.10.2025 को मौके पर उपस्थित होकर आवेदक तथा ग्रामवासीयों के समक्ष नाप किया गया, मौके पर उक्त भूमि पर आवेदक का कब्जा कास्त है। उक्त भूमि पर 10 साल (सरई) के वृक्ष हरा स्थित है। सभी वृक्ष परिपक्व हो गए है, उक्त वृक्षों को वन विभाग द्वारा गिनती कर मार्किंग किया गया, जिसकी छाती की गोलाई निम्नानुसार अंकित किया गया हैं।

क्र.	प्रजाति	छाती की गोलाई	भौतिक स्थीति
1	साल (सरई)	212 से.मी.	हरा
2	साल (सरई)	262 से.मी	हरा
3	साल (सरई)	288 से.मी	हरा
4	साल (सरई)	344 से.मी	हरा
5	साल (सरई)	194 से.मी	हरा
6	साल (सरई)	230 से.मी	हरा
7	साल (सरई)	310 से.मी	हरा
8	साल (सरई)	290 से.मी	हरा
9	साल (सरई)	244 से.मी	हरा
10	साल (सरई)	332 से.मी	हरा

रा.नि.म. डिण्डो
12.10.25

उक्त भूमि पर स्थित वृक्षों की स्थीति इस प्रकार है।

9. किसी जल धारा झरने अथवा तलाब के किनारे से 20 मीटर के अन्दर नहीं आते है।
10. किसी पवित्र स्थान से 30 मीटर के क्षेत्र सम्मिलित किसी उपवन में नहीं आते है।
11. वन महौत्सव कार्यक्रम या उसके समान किसी अन्य योजना के अन्तर्गत वृक्षों के प्रजातियों के वृक्षारोपण के क्षेत्र में नहीं आते है।
12. पड़ाव, कब्रिस्तान अथवा शमसान स्थल गौठान, खलिहान, बाजार अथवा आबादी हेतु अलग किये गये किसी क्षेत्र में नहीं आते है।

अतः सयुक्त रूप से मौका जांच प्रतिवेदन श्रीमान् जी की सेवा में सादर सम्प्रेषित है।

सलंग्न :–

मौका पंचनामा की प्रति।

वन.नि.डिण्डो
12.10.25

परिक्षेत्र सहायक
डिण्डो.

पंचनामा — दि. [illegible] 2025

[illegible]

① [illegible]
② [illegible]
③ [illegible]
④ [illegible]

[illegible]

① लाट 312 [illegible]	④ लाट 344 [illegible]	⑦ लाट [illegible]
② — 262 —	⑤ — 154 —	⑧ — 290 —
③ — 299 —	⑥ — [illegible] —	⑨ — [illegible]
		⑩ — [illegible]

[illegible]

(1) [illegible] सिंह पिता [illegible] — [illegible]
(2) [illegible] पिता [illegible] — Amit Singh
(3) [illegible] पिता [illegible] — [illegible]
(4) [illegible] पिता [illegible] — [illegible]
(5) [illegible] — [illegible]

[illegible]

पुलिस सहायक
[illegible]

[illegible] .2025